



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072024-255316
CG-DL-E-10072024-255316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946

No. 353]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

सं. 12/2024-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 376(अ).—केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपनियम कहा गया है), अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 8 के उपनियम (4क) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति जिसने आधार सं. के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प नहीं लिया है, से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, उपनियम (4) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन आवेदक का फोटोग्राफ लेने के पश्चात् किया जाएगा जहां आवेदक धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसा व्यष्टि है या ऐसे व्यष्टि हैं, जहां आवेदक व्यष्टि नहीं है, वहां इस उपनियम के प्रयोजन के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से एक केन्द्र पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ और आवेदन इस परंतुक के अधीन यथा अधिकथित सफल सत्यापन के पश्चात् ही पूर्ण समझा जाएगा।”

3. उक्त नियम के नियम 21 में,-

(i) खंड (च) में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(छक) नियम 23 के उपनियम (1) के तीसरे या चौथे परंतुक के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या”।

4. उक्त नियम के नियम 21क के उपनियम (2क) के खंड (क) में,-

(i) “प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) “उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में” शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात् “या पूर्व कर अवधि, यदि कोई हो के प्ररूप जीएसटीआर-1क में” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त नियम के नियम 28 में, 26 अक्तूबर, 2023 से,-

(i) उपनियम (2) में,-

(क) “जो संबद्ध व्यक्ति है” शब्दों के पश्चात् “भारत में अवस्थित है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “प्रस्तुत की गई ऐसी गारंटी की रकम” शब्दों के पश्चात् “प्रतिवर्ष” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“परंतु जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र हैं वहां बीजक में घोषित मूल्य सेवाओं के उक्त प्रदाय का मूल्य समझा जाएगा।”।

6. उक्त नियम के नियम 36 के उपनियम(4) के खंड (क) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियम के नियम 37क में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंको के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त नियम के नियम 39 में अधिसूचित की जानी वाली तारीख से,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) इनपुट सेवा वितरक रीति में और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा, अर्थात्:-

- (क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय उसी मास में वितरित किया जाएगा और उसके ब्यौरे इन नियमों के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत किए जाएंगे ;
- (ख) वितरित प्रत्यय की रकम वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;
- (ग) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता के कारण माने जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय केवल उस प्राप्तिकर्ता को वितरित किया जाएगा;”
- (घ) प्रत्यय के एक से अधिक प्राप्तिकर्ता के कारण माने जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय ऐसे प्राप्तिकर्ताओं में वितरित किया जाएगा जिनको ऐसी इनपुट सेवा माने जा सकने जाने योग्य है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के किसी राज्य में आवर्त या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त के आधार पर ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के कुल आवर्त का अनुपाती होगा जिसको ऐसी इनपुट सेवा माने जा सकने योग्य है और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रवर्तनीय हैं ।
- (ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के कारण मानी जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय ऐसे प्राप्तिकर्ताओं में वितरित किया जाएगा और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के किसी राज्य में आवर्त या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त के आधार पर ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के कुल आवर्त का अनुपाती होगा और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रवर्तनीय हैं ।
- (च) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय जिसे “आरआई” प्राप्तिकर्ताओं में से किसी एक प्राप्तिकर्ता को चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, ऐसे सभी कुल प्राप्तिकर्ताओं में से, जिनके अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं जो छूट प्रदाय करने में लगे हुए हैं या अन्यथा किसी कारण से रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, को खंड (घ) और खंड (ङ.) के अनुसार ऐसा कर प्रत्यय जिसे वितरित किया जाना अपेक्षित है वह रकम “सी1” होगी जिसे निम्नलिखित सूत्र को लागू करके संगणित किया जाना है-

$$\text{सी}_1 = (\text{टी}_1 / \text{टी}) \times \text{सी}$$

जहां,

“सी” वितरित की जाने वाली प्रत्यय की रकम है,

“टी₁” सुसंगत अवधि के दौरान आर₁ व्यक्ति का वह आवर्त है, जो खंड (घ) और खंड (ङ.) में विनिर्दिष्ट है, और

“टी” सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के आवर्त का योग है जिनको खंड (घ) और खंड (ङ.) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा माने जा सकने योग्य है ;

- (छ) इनपुट सेवा वितरक, खंड (घ) और खंड (ङ.) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय (धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन अपात्र या अन्यथा) की रकम या पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को पृथक् रूप से वितरित करेगा ;

- (ज) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का खंड (घ) और खंड (ड.) के अनुसार पृथकतः वितरण किया जाएगा ;
- (झ) एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरित किया जाएगा;
- (ञ) (i) उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय क्रमशः केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरित किया जाएगा;
- (ii) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय एकीकृत कर के रूप में वितरित किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम के कुल योग के बराबर होगी जो खंड (घ) और खंड (ड.) में यथा निर्दिष्ट ऐसे प्राप्तिकर्ता के लिए वितरण के लिए अर्हक है ;
- (ट) इनपुट सेवा वितरक नियम 54 के उपनियम (1) में यथा उपबंधित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा जो ऐसे बीजक में स्पष्टतः यह उपदर्शित करे कि यह इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए ही जारी किया गया है;
- (ठ) इनपुट सेवा वितरक नियम 54 के उपनियम (1) में यथा उपबंधित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट प्रत्यय की कटौती के लिए जारी करेगा यदि पहले से ही वितरित इनपुट कर प्रत्यय किसी कारण से कम हो जाता है;
- (ड) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की अतिरिक्त रकम रीति में और खंड (क) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए वितरित की जाएगी और किसी प्राप्तिकर्ता से प्राप्त हुई मानी जा सकने वाली रकम को खंड (च) में उपबंधित रीति में संगणित किया जाएगा और ऐसा प्रत्यय उसी मास में वितरित किया जाएगा जिसमें नामे नोट प्ररूप जीएसटीआर-6 की विवरणी में सम्मिलित किया जाता है ;
- (ढ) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को प्रत्यय नोट के जारी किए जाने के कारण कटौती किए जाने वाला अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय उसी अनुपात में प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को प्रभाजित किया जाएगा जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय खंड (च) के निबंधनानुसार वितरित किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम -
- (i) उस मास में वितरित की जाने वाली रकम से घटा दी जाएगी जिसमें प्रत्यय नोट प्ररूप जीएसटीआर-6 की विवरणी में सम्मिलित किया जाता है; या
- (ii) प्राप्तिकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में वहां जोड़ी जाएगी जहां इस प्रकार प्रभाजित रकम वितरण के अधीन प्रत्यय की रकम, जो समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, के आधार पर नकारात्मक है।”;

(ii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) ऐसी इनपुट सेवाओं, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के उद्ग्रहण के अधीन रहते हुए, एक या अधिक सुभिन्न व्यक्तियों के कारण प्राप्त हो सकने वाली मानी जा सकती हैं, के संबंध में प्रत्यय के वितरण के लिए ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके पास इनपुट सेवा वितरक के रूप में पैन और राज्य कोड

है, इनपुट सेवा वितरक को ऐसी सामान्य इनपुट सेवाओं के प्रत्यय को अंतरित करने के लिए नियम 54 के उपनियम (1क) के उपबंधों के अनुसार बीजक यथास्थिति प्रत्यय या नामे नोट जारी कर सकेगा और ऐसा प्रत्यय उपनियम (1) में यथा उपबंधित रीति में उक्त इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित किया जाएगा।”;

(iii) उपनियम (2) में “खंड (ज)” शब्द और कोष्ठकों के स्थान पर “खंड (ड)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) उपनियम (3) में “खंड (ज)” शब्द और कोष्ठकों के स्थान पर “खंड (झ)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(v) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) “सुसंगत अवधि” पद -

(क) यदि प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता उस वर्ष जिसमें प्रत्यय वितरित किया जाना है से पूर्व के वित्तीय वर्ष में अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त रखते हैं तो उक्त वित्तीय वर्ष में; या

(ख) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ता उस वर्ष जिसमें प्रत्यय वितरित किया जाना है, से पूर्व के वित्तीय वर्ष में अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं रखते हैं तो उस अंतिम तिमाही जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं का ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं, उस मास जिसके दौरान प्रत्यय वितरित किया जाना है से पूर्व ;

(ii) “प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता” पद से माल या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है जिसके पास वैसा ही पैन संख्या है जैसी कि इनपुट सेवा वितरक के पास पैन है ;

(iii) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और साथ ही अकराधेय माल के प्रदाय में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में “आवर्त” पद से आवर्त का वह मूल्य अभिप्रेत है जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क और उक्त अनुसूची की सूची की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम से घटाकर आता है।”।

9. उक्त नियमों के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ड.) में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “और प्ररूप जीएसटीआर-1क में, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

10. उक्त नियम के नियम 48 के उपनियम (3) में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “या प्ररूप जीएसटीआर-1क में, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

11. उक्त नियम के नियम 59 में,-

(i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उक्त व्यक्ति, कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के पश्चात् किंतु उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर 3ख में विवरणी फाइल करने से पूर्व अपने विकल्प पर, या तो प्रत्यक्षतः या सुविधा केन्द्र के माध्यम से जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1क में माल या सेवाओं या दोनों से जावक प्रदायों के अतिरिक्त ब्यौरों का संशोधन कर सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।”;

(ii) नियम 4 में, 01 अगस्त 2024 से प्रभावी, “द्वाइ लाख रुपये” शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं “एक लाख रुपये” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4क) प्ररूप जीएसटीआर-1क में प्रस्तुत माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों के अतिरिक्त ब्यौरों या उनके ब्यौरों के संशोधनों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुसार,-

(क) निम्नलिखित के बीजक वार ब्यौरे सम्मिलित हो सकेंगे-

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यिक और अंतरा-राज्यिक प्रदाय;

(ii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए एक लाख रुपये से अधिक बीजक मूल्य वाले अंतरराज्यिक प्रदाय

(ख) निम्नलिखित के समेकित ब्यौरे,-

(i) कर की प्रत्येक दर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्यीय पूर्ति; और

(ii) कर की प्रत्येक दर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को एक लाख रुपये तक के बीजक मूल्य के साथ राज्यवार अंतर-राज्यीय पूर्ति;

(ग) पूर्व में जारी किए गए बीजकों के लिए मास के दौरान जारी किए गए विकलन और प्रत्यय नोट, यदि कोई हों।”;

12. उक्त नियमों के नियम 60 में -

(i) उपनियम (1) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “या प्ररूप जीएसटीआर-1क” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम (7) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“(iiक) पूर्व कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के तुरंत पश्चात् के दिन से लेकर वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच प्ररूप जीएसटीआर-1क में उसके पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्ति के विवरण में अतिरिक्त ब्यौरे या संशोधन;”;

13. उक्त नियमों के नियम 62 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जून के तीसरे दिन तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।”;

14. उक्त नियमों के नियम 78 में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

15. उक्त नियमों के नियम 88ख में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा;

“परंतु जहां कोई रकम धारा 49 की उपधारा (1) के उपबध्नों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खातों में उक्त विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले जमा की गई हो, लेकिन नियत तारीख के पश्चात् उक्त विवरणी दाखिल करते समय कर के संदाय के लिए उक्त खातों से विकलित कर दी जाती है, उक्त रकम को ऐसे व्याज की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा यदि उक्त रकम नियत तारीख से विवरणी दाखिल करने के समय उसके विकलन की तारीख तक उक्त खातों में पड़ी है।”;

16. उक्त नियमों के नियम 88ग के उपनियम (1) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

17. उक्त नियमों के नियम 89 में,—

(i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“(1ख) कोई भी व्यक्ति, निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में उध्व पुनरीक्षण के कारण संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है, और जिस पर ऐसे माल के निर्यात के समय संदत्त किए गए एकीकृत कर का प्रतिदायनियम 96 के उपबधों के अनुसार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, धारा 54 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (क) के अनुसार सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व, नियम 10ख के उपबधों के अधीन रहते हुए, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के ऐसी प्रतिदाय के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है:

परंतु प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन, उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 54 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (क) के अनुसार सुसंगत तारीख इस उप-नियम के लागू होने की तारीख से पहले थी, इस उप-नियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पहले दाखिल किया जा सकता है।”;

(ii) उपनियम (2) में, खंड (खक) के पश्चात् निम्नलिखित किया जाएगा, अर्थात्:--

“(खख) निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे बीजकों की प्रति, शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों की प्रति, प्राधिकृत व्यौहारी-1 बैंक द्वारा जारी ऐसे शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों के संबंध में बैंक वसूली प्रमाणपत्र या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख के साथ ऐसे बैंक वसूली प्रमाणपत्र या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र की प्रति, नियम 96 के उप-नियम (3) के अधीन पहले से स्वीकृत किए गए प्रतिदाय का ब्यौरा, कीमतों में उध्व पुनरीक्षण के पश्चात् जारी किए गए सुसंगत पूरक बीजकों या विकलन नोटों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे पूरक बीजकों या विकलन नोटों की प्रति, एकीकृत कर की अतिरिक्त रकम और उस संदत्त ब्याज के संदाय के सबूत के साथ एकीकृत कर की ऐसी अतिरिक्त रकम के संदाय का ब्यौरा, जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा जारी इस प्रभाव के प्रमाणपत्र कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में इस तरह के उध्व पुनरीक्षण के कारण है के साथ निर्यात की कीमत में उध्व पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त उक्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण के संबंध में प्राधिकृत व्यौहारी-1 बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख के साथ ऐसे विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र की प्रति, और निर्यातित माल की कीमत के पुनरीक्षण की आवश्यकता और उसके कीमत पुनरीक्षण को उपदर्शित करते हुए, यथा लागू, संविदा/अन्य दस्तावेजों की प्रति, ऐसे मामले में जहां प्रतिदाय निर्यात के पश्चात् ऐसे माल की कीमत में उध्व पुनरीक्षण के कारण है;

(खग) उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात के पश्चात् ऐसे माल की कीमत में उध्व पुनरीक्षण के कारण होता है, बैंक वसूली प्रमाण पत्र या प्राधिकृत व्यौहारी-1 बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र के सुसंगत विवरण के साथ जारी किए गए पूरक बीजक/विकलन नोट/प्रत्यय नोट में घोषित पूर्ति के मूल्य का समाधान करते हुए, सुलह विवर;”;

18. उक्त नियमों के नियम 95 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“95ख. कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा प्राप्त माल की आवक पूर्ति पर चुकाए गए कर का प्रतिदाय: (1) नियम 95 में किसी बात के होते हुए भी, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन भंडार विभाग, जो कैंटीन भंडार विभाग की यूनिट संचालित कैंटीनों को या धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार कैंटीन भंडार विभाग के प्राधिकृत

उपभोक्ताओं को ऐसे माल की पश्चात्पूर्ति में पूर्ति के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्राप्त माल की सभी आवक पूर्तियों पर उसके द्वारा संदत्त किए गए लागू केंद्रीय कर के पचास प्रतिशत की वापसी का दावा करने के लिए पात्र है, प्रत्येक तिमाही में एक बार सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10ए में वापसी के लिए आवेदन करेगा।

(2) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10ए में दाखिल माल की आवक पूर्ति पर संदत्त किए गए कर की वापसी के लिए ऐसे आवेदन को नियम 89 के उपबधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में दाखिल किए गए प्रतिदाय के आवेदन के समरूप तरीके से निपटाया जाएगा।

(3) आवेदक द्वारा संदत्त किए गए कर की वापसी तभी उपलब्ध होगी जब-

(क) माल की आवक पूर्ति एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त की गई थी और ऐसी पूर्ति का ब्यौरा उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपनी जावक पूर्ति के ब्यौरे में प्रस्तुत किया गया है और उक्त पूर्तिकर्ता ने संबंधित कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अपनी विवरणी प्रस्तुत की है;

(ख) आवेदक का नाम तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या कर बीजक में उल्लिखित है; और

(ग) कैटीन स्टोर्स विभाग द्वारा माल को कैटीन स्टोर्स विभाग की यूनिट संचालित कैटीनों या कैटीन स्टोर्स विभाग के प्राधिकृत उपभोक्ताओं को पश्चात्पूर्ति पूर्ति के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

19. उक्त नियमों के नियम 96 में,

(i) उपनियम (1) में,-

(क) खंड (ख) के परंतुक में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् दीर्घ रेखा में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; , अर्थात्:-

“परंतु माल का निर्यातक, ऐसे माल के निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए और जिस पर ऐसे माल के निर्यात के समय संदत्त किए गए एकीकृत कर की रकम पहले ही इस नियम के उप-नियम (3) के उपबधों के अनुसार वापस कर दी गई है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन दाखिल कर सकता है, और ऐसे आवेदन को नियम 89 के उपबधों के अनुसार निपटाया जाएगा।”;

(ii) उपनियम (2) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

20. उक्त नियमों के नियम 96क में ,

(i) उपनियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से, एक वर्ष की समाप्ति के पन्द्रह दिन पश्चात्, या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन दी गई अवधि, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात अवधि का कोई विस्तार भी सम्मिलित है, जो भी पश्चात्पूर्ति हो, या आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की गई ऐसी अतिरिक्त अवधि, यदि जहां भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

अनुमति दी गई हो, ऐसी सेवाओं का संदाय निर्यातक द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपए में प्राप्त नहीं किया जाता है।”;

(ii) उपनियम (2) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1 में अंतर्विष्ट” शब्दों, अक्षरों और अंक के स्थान पर “प्ररूप जीएसटीआर-1, प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो, में अंतर्विष्ट” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

21. उक्त नियमों के नियम (110), के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“110 अपील अधिकरण को अपील.- (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण में, अपील प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाएगी और अपीलार्थी को तुरंत अनंतिम पावती जारी की जाएगी :

परंतु अपील अधिकरण में अपील, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल की जा सकेगी, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस प्रभाव के लिए एक विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात, और ऐसे मामले में, अपीलार्थी को तत्काल एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी।

(2) धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन अपील अधिकरण में प्रति-आपत्ति का ज्ञापन, यदि कोई हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा:

परंतु प्रति-आपत्ति का ज्ञापन प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस संबंध में विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात करे।

(3) अपील और प्रति आपत्तियों के ज्ञापन पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम पावती, अपील संख्या दर्शाते हुए जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, वहां अपीलार्थी, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत या अपलोड करेगा और त्रुटियों, यदि कोई हों, के दूर किए जाने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां आदेश की उक्त स्व-प्रमाणित प्रति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के पश्चात प्रस्तुत या अपलोड की जाती है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और ऐसी स्व-प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत या अपलोड करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील तभी दाखिल मानी जाएगी जब अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती जारी कर दी जाए।

(5) अपील दाखिल करने या अपील प्रत्यास्थापित करने के लिए फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के कर या निवेश कर प्रत्यय या कर या निवेश कर प्रत्यय में अंतर या उस आदेश में अवधारित जुर्माना, फीस या शास्ति की रकम के लिए

एक हजार रुपए होगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, जो अधिकतम पच्चीस हजार रुपए और न्यूनतम पांच हजार रुपए तक होगी:

परंतु किसी आदेश के संबंध में अपील दाखिल करने के लिए फीस, जिसमें कर, ब्याज, जुर्माना, फीस या शास्ति की कोई मांग सम्मिलित नहीं है, पांच हजार रुपये होगी।”;

(6) धारा 112 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए अपील अधिकरण के समक्ष किए गए आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी।

22. उक्त नियमों के नियम 111, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

“111 अपील अधिकरण को आवेदन.—(1) धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में, संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा और अपीलार्थी को तत्काल एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी:

परंतु अपील प्राधिकारी को आवेदन, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस प्रभाव के लिए एक विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात करे, और ऐसे मामले में, अपीलार्थी को तुरंत एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी;

(2) धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन अपील अधिकरण को प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन, यदि कोई हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा:

परंतु प्रति-आपत्ति का ज्ञापन प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस आशय का विशेष या सामान्य आदेश जारी करके इसकी अनुमति दे।

(3) अपील और प्रति आपत्तियों के ज्ञापन पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने के संबंध में प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम पावती, अपील संख्या दर्शाते हुए जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, वहां अपीलार्थी, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत या अपलोड करेगा तथा त्रुटियों, यदि कोई हों, के दूर किए जाने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी तथा अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां आदेश की उक्त स्व-प्रमाणित प्रति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के पश्चात प्रस्तुत या अपलोड की जाती है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और ऐसी स्व-प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत या अपलोड करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील तभी दाखिल मानी जाएगी जब अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती जारी कर दी जाए।

स्पष्टीकरण 2.— नियम 110 और 111 के प्रयोजनों के लिए, 'रजिस्ट्रार' से इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा

नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसमें संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार सम्मिलित होंगे।”;

23. उक्त नियमों के नियम 113, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

“113क. अपील या अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील को वापस लेना :- प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में फाइल की गई किसी अपील या जीएसटी एपीएल-07 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी होने से पूर्व किसी भी समय आवेदक, यथास्थिति, उक्त अपील या आवेदन को वापस लेने के लिए जीएसटी एपीएल-05/07 डब्ल्यू प्ररूप में आवेदन फाइल कर सकेगा :

परंतु जब जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम अभिस्वीकृति जारी कर दी गई है तो, यथास्थिति, उक्त अपील या आवेदन को वापस लेना अपील अधिकरण के अनुमोदन के अधधीन होगा और अपील या आवेदन को वापस लेने के लिए ऐसे आवेदन का विनिश्चय, अपील अधिकरण द्वारा ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा :

परंतु यह और कि अपीलार्थी द्वारा ऐसे वापस लेने के अनुसरण में, यथास्थिति, फाइल की गई नई अपील या आवेदन धारा 112 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।”;

24. उक्त नियमों के नियम 138 के उपनियम (3) में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उपनियम (1) के चौथे परंतुक के अर्थातर्गत अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बीजक सृजित करना अपेक्षित है या सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बीजक सृजित करने की अपेक्षा का विकल्प लेने वाला अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईएनआर-03 में या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ब्यौरो प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन संख्या सृजित की जाएगी और उक्त व्यक्ति को संसूचित की जाएगी।”;

25. उक्त नियमों में, नियम 142 में :-

(i) उपनियम (2) में “वह समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय के संबंध में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में सूचित करेगा और समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय को स्वीकार करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में अभिस्वीकृति जारी करेगा” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “वह समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय के संबंध में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में सूचित करेगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ऐसे व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 अभिस्वीकृति उपलब्ध कराई जाएगी” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2क) में “प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, “और तत्पश्चात् समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए, यथास्थिति, संदाय या दलीलों या दोनों को स्वीकार करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग (ग) में संसूचना जारी कर सकेगा” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2ख) जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन कर, व्याज, शास्ति या कोई अन्य संदेय रकम को उक्त व्यक्ति द्वारा उपनियम (2) के अधीन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में संसूचना द्वारा संदत्त किया जाता है तो उक्त मांग के लिए सृजित नामे प्रविष्टि के विरुद्ध इलैक्ट्रानिकी दायित्व रजिस्टर में प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में उक्त रकम का प्रत्यय करने के स्थान पर उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में एक आवेदन कर सकेगा और इस प्रकार संदत्त और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के

माध्यम से संसूचित रकम का उक्त मांग के लिए सृजित नामे प्रविष्टि के सामने प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में इलैक्ट्रानिकी दायित्व रजिस्टर में प्रत्यय किया जाएगा मानो उक्त संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से ऐसी संसूचना की तारीख को उक्त मांग के लिए संदाय किया गया था :

परंतु जहां कोई आदेश प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में किसी रकम के संदाय के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए उपनियम (3) के अर्थातगत प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में कोई आदेश जारी किया जाता है तो प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में कोई आवेदन उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त संदाय की बाबत फाइल नहीं किया जाता सकता है।”;

26. उक्त नियमों के नियम 163 के उपनियम (1) के खंड (ग) में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात् “यथासंशोधित प्ररूप जीएसटीआर-1क, यदि कोई हों”, शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

27. उक्त नियमों में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी ईएनआर-03

[नियम 138(3) देखें]

नामांकन के लिए आवेदन

[केवल अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए]

1. राज्य का नाम
2. (क) पैन के अनुसार नाम
(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हों
(ग) पैन
(घ) आधार, यदि लागू हो (वैकल्पिक)
3. नामांकन का प्रकार
(i) माल का अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार (ii) माल का अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ता
(iii) दोनों (i) और (ii)
4. संपर्क सूचना (ईमेल पते और मोबाइल नंबर का उपयोग अधिप्रमाणन के लिए किया जाएगा)
ईमेल
मोबाइल नंबर
5. सहमति
मैं, आधार नंबर धारक <प्ररूप में उपलब्ध कराए गए आधार नंबर के आधार पर पहले से ही भरा हुआ> “माल और सेवाकर नेटवर्क” को यूआईडीआई से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए मेरे ब्यौरे अभिप्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं।
6. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची
7. सत्यापन

1.		जीएसटीआईएन															
2.	(क)	पंजीकृत व्यक्ति का विधिक नाम															

	(ख)	व्यापार नाम, यदि कोई हो	
3.	(क)	एआरएन	<स्वतः>
	(ख)	एआरएन की तारीख	<स्वतः>

4. सारणी 6 के अधीन आने वाली पूर्तियों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (इसके अंतर्गत यूआईएन धारक हैं) को की गई कराधेय जावक पूर्तियां

(सभी सारणियों के लिए रुपए में रकम)

[illegible]

5. जहां बीजक मूल्य एक लाख रुपए से अधिक है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक अंतरराज्यीय पूर्तियां

पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य		रकम	
	सं.	तारीख	मूल्य		एकीकृत कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5. जावक पूर्तियां (जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से की गई पूर्तियां दर वार सम्मिलित है)								

6. ऐसी पूर्तियां जिनको शून्य दर प्रदान की गई है और समझे गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक व्यौरे			मालभाड़ा बिल/निर्यात का बिल		एकीकृत कर			केन्द्रीय कर			राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			उपकर
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6क. निर्यात															
6ख. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई आपूर्ति															
6ग. समझे गए निर्यात															

7. कराधेय पूर्तियां (सारणी 5 में शामिल पूर्तियों से भिन्न अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय आपूर्ति नामे नोट्स और प्रत्यय नोट्स को छोड़ कर)

कर दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
7क. अंतरराज्यीय पूर्तियां					
समेकित दरवार जावक पूर्तियां (जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से की गई टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित हैं)					
7ख. ऐसी अंतरराज्यीय पूर्तियां जहां बीजक मूल्य एक लाख रुपए तक है, [दर वार]-समेकित दर वार जावक पूर्तियां [जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से की गई टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित हैं]					
पूर्ति का स्थान (राज्य का नाम)					

8. जिन्हें शून्य दर प्रदान की गई है, जिन्हें छूट प्रदान की गई है और गैर-जीएसटी जावक पूर्तियां

विवरण	शून्य दर प्रदान की गई पूर्तियां	छूट प्राप्त (शून्य दर प्रदान की गई/गैर जीएसटी पूर्तियों से भिन्न)	गैर-जीएसटी पूर्तियां
1	2	3	4
8क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यीय पूर्तियां			

8ख. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतः राज्यीय पूर्तियां			
8ग. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यीय पूर्तियां			
8घ. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतः राज्यीय पूर्तियां			

9. सारणी 4, सारणी 5 और सारणी 6 में वर्तमान कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत की गई कराधेय जावक पूर्ति के संशोधन [जिसके अंतर्गत वर्तमान अवधि के दौरान जारी किए गए नामे और प्रत्यय नोट तथा उनके संशोधनों सहित]

मूल दस्तावेज के ब्यौरे			दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूल नामे या प्रत्यय टिप्पणों के ब्यौरे					दर	कराधेय मूल्य	रकम				
जी एस टीआई एन	दस्तावेज सं.	दस्तावेज की तारीख	जी एसटी आई एन	सं.	दस्तावेज तारीख	शिपिंग बिल सं. तारीख		मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9क. प्रस्तुत किए गए बीजक/शिपिंग बिल के ब्यौरों का संशोधन														
9ख. नाम नोट/प्रत्यय नोट [मूल]														
9ग. नामे/प्रत्यय नोट [संशोधित]														

10. सारणी 7 में वर्तमान कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक पूर्तियों का संशोधन

कर दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
कर अवधि, जिसके लिए ब्यौरों को पुनरीक्षित किया जा रहा है		वर्तमान कर अवधि को यहां पर स्वतः भरा जाना चाहिए)			
10क. अंतः राज्यीय पूर्तियां [जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित है] [दर वार]					
10ख. अंतरराज्यीय पूर्तियां [जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित है] [दर वार]					
पूर्ति का स्थान (राज्य का नाम)					

11. वर्तमान कर अवधि में प्राप्त अग्रिम/समायोजित अग्रिम का समेकित विवरण/प्रस्तुत सूचना के संशोधन
[(प्रतिदाय वाउचर, यदि कोई हों, को छोड़कर)]

दर	प्राप्त / समायोजित समग्र अग्रिम	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
I वर्तमान कर अवधि के लिए सूचना						
11क. कर अवधि के लिए प्राप्त अग्रिम रकम, जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है (जावक कर दायित्व में जोड़ी जाने वाली कर रकम)						
11क (1). अंतः राज्यीय पूर्तियां (दर वार)						
11क (2). अंतरराज्यीय पूर्तियां (दर वार)						
11ख. पूर्ववर्ती कर अवधियों में प्राप्त और इस कर अवधि के दौरान सारणी सं. 4, 5, 6 और 7 में दर्शित की जा रही पूर्तियों के लिए समायोजित अग्रिम रकम						
11ख (1). अंतः राज्यीय पूर्तियां (दर वार)						
11ख (2). अंतरराज्यीय पूर्तियां (दर वार)						
II वर्तमान कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 में सारणी सं. 11[1] में प्रस्तुत सूचना विवरण का संशोधन [पुनरीक्षित सूचना प्रस्तुत करें]						

मास									क्रम सं..... में प्रस्तुत सूचना के संबंध में संशोधन (चयन करें)	11क(1)	11क(2)	11ख(1)	11ख(2)
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

12. जावक पूर्तियों का एचएसएन वार सारांश

क्रम सं.	एचएस एन	विवरण	यू क्यू सी	कुल मात्रा	कर दर	कुल कराधे य मूल्य	रकम			
							एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. कर अवधि के दौरान जारी दस्तावेज

क्रम सं.	दस्तावेज की प्रकृति	क्रम सम.		कुल संख्या	रद्द किए गए	कुल जारी
		से	तक			
1	2	3	4	5	6	7
1	जावक पूर्ति के लिए बीजक					
2	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के लिए बीजक					
3	पुनरीक्षित बीजक					
4	नामे वोट					
5	प्रत्यय नोट					
6	प्राप्त वाउचर					
7	संदाय वाउचर					
8	प्रतिदाय वाउचर					
9	जोब वर्क के लिए डिलीवरी चालान					
10	अनुमोदन पर पूर्ति के लिए डिलीवरी चालान					
11	तरल गैस की दशा में डिलीवरी चालान					
12	पूर्ति के माध्यम से भिन्न मामलों में डिलीवरी चालान (क्रम सं. 9 से क्रम सं. 11 को छोड़कर)					

14. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से किए गए प्रदाय का विवरण, जिस पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं या धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं [प्रदायकर्ता को रिपोर्ट करना है]

प्रदाय की प्रकृति	ई-कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीआईएन	प्रदाय का शुद्ध मूल्य	कर की रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
(क) प्रदाय, जिन पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर धारा 52 के अधीन कर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं						
(ख) प्रदाय, जिन पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं						

14क. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से किए गए प्रदाय के विवरण में संशोधन, जिस पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं या धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं [प्रदायकर्ता को रिपोर्ट करना है]

प्रदाय की प्रकृति	मूल विवरण		संशोधित विवरण	प्रदाय का शुद्ध मूल्य	कर की रकम			
	मास/तिमाही	ई-कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीआईएन			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) प्रदाय, जिन पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर धारा 52 के अधीन कर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं								
(ख) प्रदाय, जिन पर ई-कॉमर्स								

ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से किए गए प्रदाय का विवरण, जिस पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है [ई-कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है]

प्रदायकर्ता का प्रकार	प्राप्तिकर्ता का प्रकार	प्रदाय-कर्ता का जीएसटीआईएन	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज सं0	दस्तावेज की तारीख	दर	की गई प्रदायों का मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान
								एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उप कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत											
	अरजिस्ट्रीकृत											
अरजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत											
	अरजिस्ट्रीकृत											

15क (I). ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से किए गए प्रदाय के विवरण में संशोधन, जिन पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है [रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है]

प्रदाय-कर्ता का प्रकार	मूल विवरण				संशोधित विवरण				दर	की गई प्रदायों का मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज सं0	दस्तावेज की तारीख	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज सं0	दस्तावेज की तारीख			एकीकृत	के	रा	उ	

											त कर	न्द्री य कर	ज्य / सं घ रा ज्य क्षेत्र कर	प क र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
रजिस्ट्रीकृत															
अरजिस्ट्रीकृत															

15क (II). ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से किए गए प्रदाय के विवरण में संशोधन, जिन पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है [अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के लिए, ई-कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है]

प्रदायकर्ता का प्रकार	मूल विवरण		संशोधित विवरण	दर	की गई प्रदायों का मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	कर अवधि	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रजिस्ट्रीकृत										
अरजिस्ट्रीकृत										

जीएसटीआर-1क भरने के लिए अनुदेश :

- यह वर्तमान कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्टिंग में छूटे हुए वर्तमान कर अवधि के किसी भी विवरण को जोड़ने या वर्तमान कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किसी भी विवरण को संशोधित करने के लिए प्रदान की गई एक अतिरिक्त सुविधा है (जिसमें तिमाही करदाताओं के लिए, तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, आईएफएफ में घोषित किए गए विवरण, यदि कोई हों, भी सम्मिलित हैं) यह प्ररूप विलम्ब शुल्क के बिना एक वैकल्पिक प्ररूप है।

2. यह प्ररूप पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की नियत तारीख या प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की वास्तविक तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, के पश्चात् उसी कर अवधि के संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-3ख फाइल करने तक उपलब्ध रहेगा। इसी तरह, तिमाही करदाताओं के लिए, प्ररूप जीएसटीआर-1क प्ररूप जीएसटीआर-1 (तिमाही) फाइल करने के बाद तिमाही रूप से या प्ररूप जीएसटीआर-1 (तिमाही) फाइल करने की नियत तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, के पश्चात् उसी कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-3ख फाइल करने तक खोला जाएगा।
3. प्ररूप जीएसटीआर-1क में घोषित विवरण प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित विवरण के साथ प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपलब्ध कराए जाएंगे। तिमाही रिटर्न फाइल करने का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के मामले में इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख (तिमाही) में प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत विवरण और एम1 मास और एम2 मास के आईएफएफ (यदि फाइल किया गया है) के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
4. ऐसे दस्तावेज में संशोधन, जो प्राप्तकर्ता के जीएसटीआईएन में परिवर्तन से संबंधित है, उसे जीएसटीआर-1क में अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. पहले से सृजित किए गए जीएसटीआर-2ख के अतिरिक्त, जीएसटीआर-2ख में संबंधित प्रदायकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1क में घोषित सभी प्रदाय भी शामिल होंगे। तथापि, प्ररूप जीएसटीआर-1क में घोषित या संशोधित प्रदाय अगले खुले प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उपलब्ध कराई जाएंगी। उदाहरण के लिए,—

(i) एक प्रदायकर्ता जनवरी 2023 के मास में दो चालान आईएनवी1 और आईएनवी2 जारी करता है। फिर उसने 8 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर-1 में चालान आईएनवी1 का विवरण प्रस्तुत किया। तथापि, वह एक चालान आईएनवी2 को छोड़ देता है और 15 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर-1क में इसका विवरण प्रस्तुत करता है। इस मामले में, आईएनवी1 14 फरवरी 2023 को उपलब्ध कराए गए जनवरी मास के लिए प्राप्तकर्ता के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में जाएगा। इसके अतिरिक्त, आईएनवी2 14 मार्च 2023 को उपलब्ध कराए गए फरवरी मास के लिए प्राप्तकर्ता के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) एक प्रदायकर्ता जनवरी 2023 के मास में दो चालान आईएनवी3 और आईएनवी4 जारी करता है। फिर उसने 15 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर -1 में चालान आईएनवी3 का विवरण प्रस्तुत किया। तथापि, उन्होंने 16 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर-1क में आईएनवी 4 घोषित किया। इस मामले में, आईएनवी 3 और आईएनवी 4 दोनों को प्राप्तकर्ता के फरवरी मास के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में 14 मार्च 2023 को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. विनिर्दिष्ट सारणियों के लिए अनुदेश :-

सारणी सं.	अनुदेश
4क, 4ख, 5, 6, 9ख (रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के लिए)	करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किए गए बीजकों/दस्तावेजों के विवरणों के अलावा अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।

7	- करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किए गए बीजकों/दस्तावेजों के विवरणों के अलावा अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं। - यदि दरों के किसी भी संयोजन के साथ पीओएस को पहले ही प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित किया जा चुका है, तो सारणी 7 के माध्यम से एक नई दर नहीं जोड़ी जा सकती है और करदाता को इसके लिए सारणी 10 में संशोधन सुविधा का उपयोग करना होगा।
8.	करदाता शून्य दर, छूट-प्राप्त और गैर-जीएसटी प्रदायों के, वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किए गए विवरणों के, अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।
9क और 9ग	तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, आईएफएफ में सारणी 4क, 4ख, 5, 6क, 6ख, 6ग और 9ख में, यदि कोई हो, और वर्तमान कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए मूल्यों में संशोधन।
12	प्ररूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए अतिरिक्त/संशोधन विवरण के अनुसार एचएसएन विवरण यहाँ घोषित किए जाएँगे। किसी भी निम्नगामी संशोधन की दशा में, अंतर भाग के लिए माइनस चिह्न के साथ प्रविष्टि की जा सकती है।
11क(1) और 11क(2), 11ख(1) और 11ख(2)	- करदाता प्ररूप जीएसटीआर-1 में वर्तमान कर अवधि के लिए पहले से घोषित प्राप्त या समायोजित अग्रिम रकम के विवरण के अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं। - यदि दर के किसी भी संयोजन के साथ कोई पीओएस पहले से ही प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित किया गया है, तो इन सारणियों के माध्यम से एक नई दर नहीं जोड़ी जा सकती है और करदाता को, यथास्थिति, संशोधन सारणी 11 (II) का उपयोग करना होगा।
14	करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से किए गए प्रदाय का अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।
15	इको करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए प्रदायों (दरवार-) के पहले से ही घोषित विवरण के सिवाय, अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।
10, 11(II), 14क, 15क(I), 15क(II)3	करदाता वर्तमान अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित विवरण में संशोधन कर सकते हैं।”।

30. उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-2क में,—

(i) “(जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8, माल का आयात और एसईजेड एकाइयों/डेवलपर्स द्वारा निर्मित माल के आयात से)”, कोष्ठकों, अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर,

“(जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1क, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8, एसईजेड इकाइयों/डेवलपर्स से प्राप्त माल का आयात और माल की आवक प्रदाय)” कोष्ठक, अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) भाग क में, –

(क) “जीएसटीआर-1/5 की अवधि” अक्षरों, अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां वे आते हैं “जीएसटीआर-1/1क/5 की अवधि” अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “जीएसटीआर-1/5 भरने की तारीख” अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं “जीएसटीआर-1/1क/5 भरने की तारीख” अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(iii) शीर्षक अनुदेशों के अधीन, –

(क) पैरा 2 में, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 5, 6, 7 और 8” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क, 5, 6, 7 और 8” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 4 की सारणी में, –

(क) क्रम संख्यांक 3 के सामने, दूसरे स्तंभ में,—

(I) क्रम संख्यांक (i) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(II) क्रम संख्यांक (iii) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1/5” शब्द, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1/1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(III) क्रम संख्यांक (iv) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्द, अक्षरों और अंक के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1/1क” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्यांक 4 के सामने, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्यांक (i) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ग) क्रम संख्यांक 5 के सामने, दूसरे स्तंभ में,—

(I) क्रम संख्यांक (i) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(II) क्रम संख्यांक (v) में,—

(1) “प्ररूप जीएसटीआर-1/5”, शब्द, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1/1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

31. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-2ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)		केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
1	रिवर्स चार्ज के अतिरिक्त पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अन्य आईटीसी पूर्तियाँ	4(क) (5)						प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) के अंतर्गत शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।
विवरण	ख2ख - बीजक							
	ख2ख-विकलन टिप्पण							
	ईसीओ- दस्तावेज							
	ख2ख-बीजक संशोधन)							
	ख2ख-विकलन टिप्पण (संशोधन)							
	ईसीओ- दस्तावेज (संशोधन)							
2	आईएसडी से आवक पूर्ति	4(क)(4)						प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) के अधीन शुद्ध इनपुट टैक्स प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।
विवरण	आईएसडी – बीजक							
	आईएसडी-बीजक (संशोधन)							

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)		केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
3	आवक आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज लागू होगा	3.1(घ) 4(क)(3)						कर भुगतान के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में इन पूर्तियों को घोषित किया जाएगा। कर भुगतान पर प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) के अधीन शुद्ध इनपुट टैक्स प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।
विवरण	ख2ख - बीजक							
	ख2ख - विकलन नोट्स							
	ख2ख-बीजक (संशोधन)							
	ख2ख - विकलन नोट्स (संशोधन)							
4	माल का आयात	4(क)(1)						प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) के अधीन शुद्ध इनपुट टैक्स प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)		केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
विवरण	आईएमपीजी - विदेशों से माल का आयात							
	आईएमपीजी (संशोधन)							
	आईएमजीएसईजेड - एसईजेड से माल का आयात							
	आईएमजीएसईजेड (संशोधन)							
भाग ख	उपलब्ध आईटीसी – प्रत्यय नोट्स को जीएसटीआर-3ख में सुसंगत उपलब्ध शीर्षकों के विरुद्ध प्रत्यय नोट्स समायोजित किया जाना चाहिए							
1	अन्य	4(क)						प्रत्यय नोट्स सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणियों [सारणी 4क(3,4,5)] के विरुद्ध समायोजित होंगे प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज) के विरुद्ध दायित्व सारणी 3.1 (घ) में समायोजित होगी।
विवरण	ख2ख - प्रत्यय नोट्स	4(क)(5)						
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(5)						
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज)	3.1(घ) 4(क)(3)						
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)	3.1(घ) 4(क)(3)						
	आईएसडी - प्रत्यय नोट्स	4(क)(4)						
	आईएसडी - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(4)						

4. आईटीसी सारांश उपलब्ध नहीं

(सभी अनुभागों में रकम ₹ में)

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटी आर-3ख- सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
प्रत्यय जिसका लाभ प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अधीन नहीं उठाया जा सकता							
भाग क	आईटीसी उपलब्ध नहीं है						
1	रिवर्स चार्ज के अतिरिक्त पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अन्य आईटीसी पूर्तियाँ	4(घ)(2)					ऐसा प्रत्यय नहीं लिया जाएगा और उसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(घ)(2) में रिपोर्ट करना होगा।
विवरण	ख2ख - बीजक						
	ख2ख - विकलित नोट्स						
	ईसीओ - दस्तावेज़						
	ख2ख - बीजक (संशोधन)						
	ख2ख - विकलित नोट्स (संशोधन)						
2	ईसीओ - दस्तावेज़ (संशोधन)	4(घ)(2)					ऐसा प्रत्यय नहीं लिया जाएगा और इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(घ)(2) में रिपोर्ट करना होगा।
	आईएसडी से आवक पूर्ति						
विवरण	आईएसडी - बीजक						
	आईएसडी - बीजक (संशोधन)						
3	आवक पूर्ति पर रिवर्स चार्ज दायी होगा	3.1(घ) 4(घ)(2)					इन पूर्तियों को कर भुगतान के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की

							सारणी 3.1(घ) में घोषित किया जाएगा।
विवरण	ख2ख – बीजक						
	ख2ख - विकलन नोट्स						
	ख2ख - बीजक (संशोधन)						
	ख2ख - विकलन नोट्स (संशोधन)						
भाग ख आईटीसी उपलब्ध नहीं है – प्रत्यय नोट को जीएसटीआर-3ख में सुसंगत आईटीसी उपलब्ध शीर्षकों के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए							
1	अन्य	4(क)					प्रत्यय नोट्स को सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणियों [सारणी 4क(3,4,5)] के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए।
विवरण	ख2ख - प्रत्यय नोट्स	4(क)(5)					
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(5)					
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज)	4(क)(3)					
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)	4(क)(3)					
	आईएसडी - प्रत्यय नोट्स	4(क)(4)					
	आईएसडी - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(4)					

5. आईटीसी उत्क्रमण सारांश (नियम 37क)

(सभी अनुभागों में रकम ₹ में)

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
वह प्रत्यय जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अधीन वापस किया जा सकता है							
भाग क अन्य रिवर्स आईटीसी -							
1	नियम 37क के कारण आईटीसी उत्क्रमण आईटीसी	4(ख)(2)					इस तरह के प्रत्यय को उलट दिया जाएगा और उसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) में रिपोर्ट करना होगा।
विवरण	ख2ख – बीजक						
	ख2ख- विकलन नोट्स						
	ख2ख - बीजक (संशोधन)						
	ख2ख - विकलन नोट्स (संशोधन)						

निर्देश:

1. उपयोग किए गए पद: -

क. आईटीसी - इनपुट टैक्स प्रत्यय

ख. ख2ख – कारबार से कारबार

ग. आईएसडी – इनपुट सेवा वितरक

घ. आईएमपीजी – माल का आयात

ड. आईएमपीजीएसईजेड – एसईजेड से माल का आयात

च. ईसीओ – ई-कॉमर्स ऑपरेटर

2. महत्वपूर्ण सलाह:

क) प्ररूप जीएसटीआर-2ख एक ऐसा विवरण है जो आपके आपूर्तिकर्ताओं या ईसीओ द्वारा उनके संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, 1क, 5 और 6 में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यह एक स्थिर विवरण है और इसे महीने में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, 5 और 6 में फाइल किए गए दस्तावेज़ प्राप्तकर्ता के अगले खुले प्ररूप जीएसटीआर-2ख में दिखाई देंगे, भले ही आपूर्तिकर्ता द्वारा इसे फाइल करने की तारीख कुछ भी क्यों न हो। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रत्यय प्राप्त करने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2ख देखें। तथापि, अतिरिक्त विवरण के मामले में, वे अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-2क (जिसे लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है) का संदर्भ ले सकते हैं।

ख) इसके अतिरिक्त, प्ररूप जीएसटीआर-1क में घोषित या संशोधित आपूर्ति अगले खुले प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उपलब्ध कराई जाएगी।

ग) निम्नलिखित परिदृश्यों में इनपुट कर प्रत्यय अनुपलब्ध बताया जाकगा: -

i. माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए बीजक या विकलन नोट, जहां प्राप्तकर्ता सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं है।

ii. बीजक या विकलन नोट जहां आपूर्तिकर्ता (जीएसटीआईएन) और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में हैं जबकि प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में है।

तथापि, ऐसे अन्य परिदृश्य भी हो सकते हैं, जिनके लिए करदाताओं को इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं हो सकता है और सिस्टम द्वारा इसे उत्पन्न नहीं किया गया है। करदाताओं को अपने प्ररूप जीएसटीआर-3ख में ऐसे प्रत्यय का स्व-मूल्यांकन और उलट देना चाहिए।

3. यह ध्यान देने योग्य है कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में आपके संबंधित आपूर्तिकर्ता या ईसीओ द्वारा फाइल किए जा रहे सभी जीएसटीआर-1/आईएफएफ, 5 और 6 एस शामिल होंगे। सामान्य तौर पर, यह तारीख पिछले महीने

(एम-1) के लिए जीएसटीआर-1 (मासिक/त्रैमासिक)/आईएफएफ फाइल करने की तारीख से चालू महीने (एम) के लिए जीएसटीआर-1 (मासिक/त्रैमासिक)/आईएफएफ फाइल करने की तारीख के बीच होगी। उदाहरण के लिए, फरवरी महीने के लिए जीएसटीआर-2ख में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने जीएसटीआर-1 /आईएफएफ, 5 और 6 में 12 फरवरी को 00:00 बजे से 11 मार्च को 23:59 बजे तक फाइल किए गए सभी दस्तावेज शामिल होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि माल के आयात के लिए, डेटा को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जा रहा है, इसलिए, महीने में किए गए आयात (जिस महीने के लिए जीएसटीआर-2ख तैयार किया जा रहा है) उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन तारीखों के लिए सुसंगत डेटा निकाला गया है, वे ऑनलाइन पोर्टल पर “एडवाइजरी देखें” टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

4. इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों/डेवलपर्स से आयात के आंकड़ों सहित आईसीईजीएटीई प्रणाली से माल के आयात की जानकारी भी शामिल है।
5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेवाओं के आयात पर प्रत्यागम प्रभार प्रत्यय इस विवरण का हिस्सा नहीं है और इसे करदाताओं द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) में दर्ज किया जाना जारी रहेगा।
6. सारणी 3 में जीएसटीआर-2 ख तैयार करने की तारीख तक उपलब्ध आईटीसी का सारांश दिया गया है। इसे निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है:

अ. भाग क में प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत सारणियों में प्राप्त किए जा सकने वाले प्रत्यय का सारांश दिया गया है।

आ. भाग ख में प्रत्यय का सारांश सम्मिलित है, जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत सारणी से समायोजित किया जाएगा।

7. सारणी 4 में जीएसटीआर-2ख तैयार करने की तारीख तक उपलब्ध न होने वाले आईटीसी का सारांश दिया गया है। इस सारणी में उपलब्ध प्रत्यय का लाभ प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रत्यय के रूप में नहीं लिया जाएगा, किंतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(घ)(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। तथापि, प्रत्यागम के आधार पर कर का संदाय करने की देयता और प्रत्यय नोट्स की प्राप्ति पर समायोजित प्रत्यय की देयता ऐसी आपूर्ति के लिए जारी रहती है।

8. सारणी 5 में नियम 37क के अधीन 30 नवंबर को या उससे पहले वापस किए जाने वाले आईटीसी का सारांश दर्शाया गया है, जिस वित्तीय वर्ष में ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में आईटीसी का लाभ उठाया गया है और आपूर्तिकर्ता द्वारा तत्स्थानी प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सारणी में स्वचालित रूप से भरी गई प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रत्यागम किया जाएगा, किंतु इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) में प्रत्यागम किए गए आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। सारणी 5 को अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर (अक्टूबर में उपलब्ध कराया जाएगा) के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में ही उपलब्ध कराया जाएगा।

9. करदाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न डेटा उनके अपने रिकॉर्ड और खाता बही से मेल खाता हो। करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि,-

क. किसी भी परिस्थिति में किसी भी दस्तावेज के लिए दो बार प्रत्यय नहीं लिया जाएगा।

ख. जहां भी आवश्यक होगा, प्रत्यय प्रत्यागम कर दिया जाएगा।

ग. प्रत्यागम प्रभार आधार पर कर का संदाय नकद में किया जाएगा।

10. बीजक, प्रत्यय नोट, नामे नोट, आईएसडी बीजक, आईएसडी प्रत्यय और नामे नोट, प्रविष्टियों का बिल आदि का विवरण भी ऑनलाइन और डाउनलोड सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

11. ऐसे परिदृश्य हो सकते हैं जहां सरकार द्वारा लागू कर दर का प्रतिशत अधिसूचित किया जा सकता है। बीजक/दस्तावेजों के लिए एक अलग स्तंभ प्रदान किया जाएगा जहां ऐसी दर लागू होती है।

12. सारणी वार अनुदेश:

सारणी संख्या एवं शीर्षक	अनुदेश
आईटीसी उपलब्ध सारांश	
सारणी 3 भाग क खंड I प्रत्यागम प्रभार के अलावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अन्य आईटीसी आपूर्तियाँ	i. इस अनुभाग में उन आपूर्तियों (उनके अलावा जिन पर प्रत्यागम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है) का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं या ईसीओ द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 में घोषित और दाखिल किया गया है। ii. यह सारणी केवल उन आपूर्तियों को प्रदर्शित करती है जिन पर इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है। iii. ख 2ख-बीजक और ख 2ख-नामे नोट्स में संशोधन के कारण यदि कोई नकारात्मक प्रत्यय उत्पन्न होता है, तो उसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क(5) में समायोजित किया जाएगा।
सारणी 3 भाग क खंड II आईएसडी से आवक आपूर्ति	i. इस अनुभाग में उन आपूर्तियों का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें इनपुट सेवा वितरक द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-6 में घोषित और फाईल किया गया है। ii. यह सारणी केवल उन आपूर्तियों को प्रदर्शित करती है जिन पर आईटीसी उपलब्ध है। iii. आईएसडी संशोधन - बीजक में आईएसडी संशोधन के कारण नकारात्मक प्रत्यय, यदि कोई हो, उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क(4) में समायोजित किया जाएगा।
सारणी 3 भाग क खंड III आवक आपूर्ति पर प्रत्यागम प्रभार लागू होगा	i. इस अनुभाग में उन आपूर्तियों का विवरण सम्मिलित है जिन पर प्रत्यागम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ और जीएसटीआर-1क में घोषित और फाईल किया गया है।

	ii. इस सारणी में केवल वे आपूर्तियाँ दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध है। iii. कर संदाय के लिए इन आपूर्तियों को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित किया जाएगा। कर संदाय पर प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) के अधीन प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है। iv. ख2ख - इनवॉयस (प्रत्यागम प्रभार) और ख2ख-नामे नोट्स (प्रत्यागम प्रभार) में संशोधन के कारण नकारात्मक प्रत्यय, यदि कोई हो, उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) में समायोजित किया जाएगा।
सारणी 3 भाग क खंड IV माल का आयात	i. यह अनुभाग विदेशों से माल के आयात और एसईजेड इकाइयों/डिवलपर्स द्वारा प्रवेश पत्र और उसके संशोधन पर आपके द्वारा संदाय किए गए आईजीएसटी का विवरण प्रदान करता है। ये विवरण आइसगेट प्रणाली से लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किए जाते हैं। ii. इस सारणी में उस माह में आपके द्वारा किए गए आयात (जीएसटीआईएन) का डेटा सम्मिलित होगा जिसके लिए जीएसटीआर-2ख तैयार किया जा रहा है। iii. आइसगेट संदर्भ तारीख वह तारीख है, जिससे प्राप्तकर्ता इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्र होता है। iv. सारणी में यह भी बताया गया है कि क्या प्रवेश पत्र में संशोधन किया गया था। v. सारणियों में जानकारी आइसगेट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दी गई है।
सारणी 3 भाग ख अनुभाग I अन्य	i. इस अनुभाग में प्राप्त प्रत्यय नोटों और उनके संशोधन का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 में घोषित और फाईल किया गया है। ii. ये प्रत्यय नोट प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणीओं [सारणी 4 क (3,4,5)] से समायोजित होंगे। प्रत्यय नोट्स (प्रत्यागम प्रभार) के प्रति देयता प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में समायोजित होगी।
आईटीसी में सारांश उपलब्ध नहीं	
सारणी 4 भाग क खंड I प्रत्यागम प्रभार के अलावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अन्य आईटीसी	i. इस अनुभाग में आपूर्तियों (उनके अतिरिक्त जिन पर प्रत्यागम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है) का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं या ईसीओ द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-

आपूर्तियाँ	1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 में घोषित और फाईल किया गया है। ii. इस सारणी में केवल वे आपूर्तियां दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है। iii. ऐसा प्रत्यय प्ररूप जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा। तथापि, ऐसे प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।
सारणी 4 भाग क खंड II आईएसडी से आवक आपूर्ति	i. इस खंड में उन आपूर्तियों का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें इनपुट सेवा वितरक द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-6 में घोषित और फाईल किया गया है। ii. इस सारणी में केवल वे आपूर्तियां दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है। iii. ऐसा प्रत्यय प्ररूप जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा। तथापि, ऐसे प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।
सारणी 4 भाग क खंड III आवक आपूर्ति पर प्रत्यागम प्रभार लागू होगा	i. इस अनुभाग में प्रत्यागम प्रभार के लिए उत्तरदायी आपूर्तियों का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ और जीएसटीआर-1क में घोषित और फाईल किया गया है। ii. इस सारणी में केवल वे आपूर्तियां दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है। iii. इन आपूर्तियों को कर संदाय के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित किया जाएगा। तथापि, ऐसी आपूर्तियों पर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा। iv. ऐसे प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।
सारणी 4 भाग ख अनुभाग I अन्य	i. इस अनुभाग में प्राप्त प्रत्यय नोट्स और उनके संशोधन का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1 क और जीएसटीआर-5 में घोषित और फाईल किया गया है। ii. इस सारणी में केवल वे प्रत्यय नोट दिए गए हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है। iii. प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणियों [सारणी 4क(3,4,5)] से समायोजित होंगे।
सारणी 5 भाग क खंड I नियम 37क के कारण	i. यह सारणी केवल सितम्बर माह के प्ररूप जीएसटीआर 2ख में उपलब्ध कराई जाएगी (अक्टूबर में उपलब्ध कराई जाएगी)।

आईटीसी प्रत्यायन	ii. सारणी में नियम 37क के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के बीजक या नामे नोट के संबंध में प्रत्यायन किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय का विवरण सम्मिलित होगा। iii. इस सारणी में स्वचालित रूप से भरी गई प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उलट दिया जाएगा और इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) में रिपोर्ट किया जाएगा।”।
------------------	--

32. उक्त नियमों में, अधिसूचित तारीख से, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में,-

क. सारणी 6.1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी;

विवरण	देय कर	पिछली कर अवधि की नकारात्मक देयता का समायोजन	शुद्ध देय कर (2-3)	आईटीसी के माध्यम से संदाय किया गया कर				नकद में संदाय किया गया कर	नकद में संदाय किया गया ब्याज	विलम्ब शुल्क का संदाय नकद में किया जाएगा
				एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उप कर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i) प्रत्यागम प्रभार और (ii) धारा 9(5) के अधीन की गई आपूर्ति के अतिरिक्त										
एकीकृत कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
केंद्रीय कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
उपकर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
(ख) धारा 9(5) के अधीन प्रत्यागम प्रभार और आपूर्ति										
एकीकृत कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
केंद्रीय कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
उपकर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							

”

(ख) सारणी 6.2 का लोप कर दिया जाएगा।

33. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-4 में, अनुदेशों में, क्रम संख्या 2 पर, "ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति" शब्दों के पश्चात, "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिए शब्द और अक्षर रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष

या उसके भाग के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में ब्यौरा, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात जून की तीसरी तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।";

34. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-4क में, "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वचालित रूप से तैयार)" कोष्ठक, अक्षर, शब्द और आंकड़े के स्थान पर, "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1 क, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वचालित रूप से तैयार)" कोष्ठक, अक्षर, शब्द और आंकड़े को रखा जाएगा।

35. उक्त नियमों में, 01 अगस्त 2024 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटीआर-5 में,-

(i) क्रम संख्या 6 में, शीर्षक में, "2.5 लाख रुपए" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "1 लाख रुपए" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 7 में, सारणी में, खंड (7ख) में, शीर्षक में, "2.5 लाख रुपए" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "1 लाख रुपए" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(iii) अनुदेश शीर्षक के अधीन,-

(क) क्रम संख्या 7 में, खंड (ii) में, "2,50,000 रुपए" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "1,00,000 रुपए" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 8 में, खंड (ii) में, "2.5 लाख रुपए" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "1 लाख रुपए" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

(ग) क्रम संख्या 9 में, अंक, अक्षर और शब्द "रु. 250000/-" के स्थान पर अंक और अक्षर "रु. 100000/-" रखे जाएंगे।

36. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-6क में, "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वचालित रूप से तैयार)" कोष्ठक, अक्षर, शब्द और आंकड़े के स्थान पर, "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1क, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वचालित रूप से तैयार)" कोष्ठक, अक्षर, शब्द और आंकड़े को रखा जाएगा;

37. उक्त नियमों में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, प्ररूप जीएसटीआर-7 में, -

(i) सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"

कटौतीकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक/दस्तावेज़ विवरण			टीडीएस के लिए उत्तरदायी कटौतीकर्ता को संदाय की गई	स्रोत पर कटौती की गई कर राशि		
	स.	तारीख	कीमत		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर

				राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8

”;

(ii) सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

मूल विवरण						पुनरीक्षित विवरण							
महीना	कटौतीकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक/दस्तावेज विवरण			टीडीएस के लिए उत्तरदायी कटौतीकर्ता को संदाय की गई राशि	कटौतीकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक/दस्तावेज विवरण			टीडीएस के लिए उत्तरदायी कटौतीकर्ता को संदाय की गई राशि	स्रोत पर कटौती की गई कर राशि		
		सं	तारीख	कीमत			सं	तारीख	कीमत		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(iii) अनुदेशों में,-

(क) क्रम संख्या 2 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर निम्नलिखित अनुदेश रखा जाएगा, अर्थात्:-

“2. सारणी 3 में बीजक/दस्तावेजवार काटे गए कर का विवरण दर्ज किया गया है।”

(ख) क्रम संख्या 4 पर दिए गए अनुदेश के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5. सारणी 3 के स्तंभ 5 और सारणी 4 के स्तंभ 6 और स्तंभ 11 में टीडीएस के लिए उत्तरदायी राशि, बीजक में दर्शाई गई केंद्रीय कर, राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को छोड़कर राशि होगी।”

38. उक्त नियमों में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, प्ररूप जीएसटीआर-8 में, -

(i) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 7 में, “जीएसटीआर-1” अक्षरों, शब्दों और अंकों के स्थान पर “(जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-1क)” अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) में प्ररूप जीएसटीआर-8, -

(क) क्रम संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“3. ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति का विवरण

(सभी सारणियों के लिए राशि रु. में)

आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	आपूर्ति का विवरण जिस पर टीसीएस लागू होता है	स्रोत पर एकत्रित कर की राशि	आपूर्ति का स्थान
----------------------------	---	-----------------------------	------------------

	आपूर्ति का सकल मूल्य	वापस की गई आपूर्ति	टीसीएस के लिए उत्तरदायी शुद्ध राशि	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	(पीओएस)
1	2	3	4	5	6	7	8
3क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति							
3ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति							

(ख) क्रम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“4. किसी पूर्ववर्ती कथन के संबंध में आपूर्ति के व्यौरों में संशोधन

मूल व्यौरे		संशोधित व्यौरे							
मास	पूर्तिकर्ता का जीएसटीएन	पूर्तिकर्ता का जीएसटीएन	की गई आपूर्तियों के व्यौरे, जिनमें स्रोत पर कर संग्रहण होता है			स्रोत पर संग्रह कर की रकम			आपूर्ति का स्थान (पीओएस)
			की गई आपूर्तियों का सकल मूल्य	वापस की गई आपूर्ति का मूल्य	स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी कुल रकम	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्तियां									
4ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्तियां									
									“.

”.

39. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-9 में,

(क) सारणी में, -

(i) भाग II में,-

(क) क्रम सं 4 .में,

(I) क्रम सं छ से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् : -

“छ1	धारा 9(5) के अनुसार वे आपूर्तियां, जिन पर ई-वाणिज्य प्रचालक से कर संदाय करना अपेक्षित है (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]						”
-----	--	--	--	--	--	--	---

;

(II) क्रम संख्या ज के सामने, - "उप-योग (ऊपर क से छ)", अक्षरों और शब्द के स्थान पर, "उप-योग (ऊपर क से छ 1)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे”;

(ख) क्रम सं 5 .में,

(I) क्रम संख्या ग से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् : -

“

ग1	आपूर्तियां, जिन पर धारा 9(5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है [आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट करना है]					
----	--	--	--	--	--	--

”;

(II) क्रम संख्या ढ के सामने, "कुल आवर्त (अग्रिमों सहित) (ऊपर 4ढ + 5ड – 4छ)" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "कुल आवर्त (अग्रिमों सहित) (ऊपर 4ढ + 5ड – 4छ – 4छ1)" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।”;

(ख) निर्देश शीर्षक के अधीन, -

(i) पैरा 4 में, -

(क) "या वित्त वर्ष 2022-23" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या वित्त वर्ष 2023-24" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) सारणी में-

(I) "प्ररूप जीएसटीआर- 1" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, जहां कहीं वे होते हैं, "प्ररूप जीएसटीआर- 1क" द्वारा यथासंशोधित, यदि कोई हो शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) क्रम संख्या 4छ से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्- :

4छ1	सभी आपूर्तियों के सकल मूल्य (संशोधनों का कुल योग), जिन पर धारा 9(5) के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा रिपोर्ट किया जाना है। प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 15 और 15ए इन व्यौरों को भरने के लिए निर्दिष्ट की जा सकेगी।
-----	---

(III) क्रम संख्या 5ग से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्- :

5ग1	ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियों के सकल मूल्य (संशोधनों का कुल योग), जिन पर धारा 9(5) के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, आपूर्तिकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया जाना है। प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 14(ख) और 14क(ख) इन व्यौरों को भरने के लिए निर्दिष्ट की जा सकेगी।
-----	---

(IV) दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत में अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

‘वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति गैर-जीएसटी आपूर्ति (5च) को पृथक् रूप से रिपोर्ट करेगा और उसके पास या तो अपनी आपूर्तियों को छूट प्राप्त और शून्य दर आपूर्ति के रूप में रिपोर्ट करने या "छूट प्राप्त" पंक्ति में केवल इन दो शीर्षों के लिए समेकित जानकारी रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।’;

(V) दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 5ज, 5झ, 5ञ और 5ट के सामने, "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(VI) दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 5ढ के सामने, "प्रत्यागम भार आधार पर" शब्दों के पश्चात्, "और आपूर्तियां, जिन पर ई-वाणिज्य प्रचालकों से धारा 9(5) के अधीन करें का संदाय करना अपेक्षित है" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैरा 5 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में,-

(क) क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6ङ के सामने, "वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने, "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ग) क्रम सं. 8क के सामने, -

(I) "एसईजेड से प्राप्त" शब्दों के पश्चात्, "और ई-वाणिज्य प्रचालकों से प्राप्त आपूर्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाए ;

(II) "संबंधित आपूर्तिकर्ताओं" शब्दों के पश्चात्, "ई-वाणिज्य प्रचालकों सहित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; और

(III) अंत में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"तथापि, वित्त वर्ष 2023-24 के पश्चात्, उस वित्तीय वर्ष से संबंधित आवक आपूर्ति (आयात और आवक आपूर्ति से पृथक्, जो प्रत्यागम भार के लिए दायी है, किंतु एसईजेड से प्राप्त सेवाओं को सम्मिलित करता है) के लिए उपलब्ध कुल क्रेडिट, जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है और प्ररूप जीएसटीआर-2ख की सारणी 3(झ) में दर्शाया गया है, इस सारणी में ऑटो-पोप्युलेट किया जाएगा।"

(iii) पैरा 7 में,-

(क) "30 नवंबर, 2023 तक फाइल" शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, भाग V में पिछले वित्तीय वर्ष के लेनदेन के विवरण सम्मिलित हैं, किंतु अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदाय किया गया है, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया है।";

(ख) सारणी में, स्तंभ 2 में,-

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत में अंतःस्थापित : की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के रिटर्न में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन का विवरण, किंतु इस प्रकार के संशोधन अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 तक फाइल प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे।";

(II) क्रम सं. 12 के सामने,-

i. "30 नवंबर, 2023 तक यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) का उपयोग किया जा सकेगा", शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया था, किंतु अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 के मासों के लिए फाइल रिटर्न में प्रत्यागम किया गया था, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा।

ii. "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम संख्या 13 के सामने, -

(I) "वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः दावा किया गया, ऐसे आईटीसी पुनः दावा का विवरण वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक रिटर्न में प्रस्तुत किया जाएगा" शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए आईटीसी के विवरण किंतु इसके लिए आईटीसी अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 के मासों के लिए फाइल रिटर्न में 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(क) का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, कोई भी आईटीसी जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार प्रत्यागम किया गया था, किंतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः प्राप्त किया गया था, ऐसे आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक रिटर्न में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(II) "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) पैरा 8 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में,-

(क) क्रम संख्या,-

(I) 15क, 15ख, 15ग और 15घ,

(II) 15ङ, 15च और 15छ,

(III) 16क,

(IV) 16ख ; और

(V) 16ग;

के सामने" 2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे।";

(ख) क्रम सं. 17 और 18 के सामने,

(I) "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।";

(II) "प्ररूप जीएसटीआर-1" शब्दों और अंक के पश्चात्, "प्ररूप जीएसटीआर -1क द्वारा यथा संशोधित, यदि कोई हो" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

40. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में,-

(i) निर्देश शीर्षक के अधीन,-

(क) पैरा 4 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, शब्दों और अंकों के स्थान पर,-

- "2021-22 और 2022-23", अंकों और शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे, और
- "2020-21 और 2021-22", अंकों और शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 14 के सामने, "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

41. उक्त नियमों में, प्ररूप आरएफडी-01 में,-

(i) निर्देश शीर्षक के अधीन, पैरा 10 में, "जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2" अक्षरों, अंकों और शब्द के स्थान पर, "जीएसटीआर-1क द्वारा यथा संशोधित, यदि कोई हो" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) कथन-8 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण 9क[नियम 89(2)(खख) देखें]

प्रतिदाय प्रकार : निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऊपर की ओर पुनरीक्षण पर अतिरिक्त एकीकृत कर का संदाय

निर्यात बीजक			शिपिंग बिल		निर्यात विवरण			प्रेषण		प्रतिदाय विवरण		निर्यात मूल्य वृद्धि के पश्चात्							
												पूरक बीजक/नामे नोट और आईजीएसटी संदाय विवरण					अतिरिक्त निर्यात प्रेषण विवरण		
सं .	तारीख	बीजक का कुल मूल्य	निर्यात कोड का पोर्ट	सं .	तारीख	बीआरसी/एफआईआरसी सं.	तारीख	प्रेषण रकम	रकम	मंजूरी की तारीख	सं .	तारीख	पूरक बीजक का कुल मूल्य	प्ररूप जीएसटीआर - 3 बी रिटर्न अवधि में संदाय किया गया	कुल अतिरिक्त आईजीएसटी का संदाय	आईजीएसटी राशि पर व्याज का संदाय	बीआरसी/एफआईआरसी सं.	तारीख	अतिरिक्त प्रेषण रकम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

कथन 9ख [नियम 89(2)(खग)]**प्रतिदाय प्रकार: माल के निर्यात के लिए जारी किए गए नामे/प्रत्यय नोट/अनुपूरक बीजक के ब्यौरे**

क्र. सं.	दस्तावेज का प्रकार (नामे नोट / प्रत्यय नोट/ अनुपूरक बीजक)	नामे नोट / प्रत्यय नोट/ अनुपूरक बीजक	दस्तावेज की तारीख	मास के लिए जीएसटी आर -1 में घोषित दस्तावेज	मास के लिए जीएसटी आर -3ख में घोषित दस्तावेज के संबंध में दावा किया गया संदत्त कर दायित्व /आईटीसी	बीआरसी/विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाण पत्र सं.	बीआरसी/विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाण पत्र की तारीख	क्या नियम 96 (हां/नहीं) के अधीन पोत परिवहन पत्र के लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है	ऐसे पोत परिवहन पत्र सं. के ब्यौरे	ऐसे पोत परिवहन पत्र की तारीख	निर्यात को ड के पत्त न
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											"।

42. उक्त नियमों में, प्ररूप आरएफडी-10 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10क**(नियम 95ख देखें)**

कैंटीन भंडार विभाग(सीएसडी) द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन :
2. नाम :
3. पता :
4. कर अवधि (तिमाही) : से <दिदि/मामा/वव >तक < दिदि/मामा/वव >
5. प्रतिदाय दावा की रकम :< आईएनआर ><शब्दों में >
6. प्राप्त माल की आवक आपूर्ति के ब्यौरे:

आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज का प्रकार	बीजक ब्यौरे /नामे नोट /प्रत्यय नोट			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम		
	बीजक/नामे /प्रत्यय नोट	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. कुल प्रतिदाय के लिए आवेदन किया गया:

केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	कुल
< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >

8. बैंक खाते के ब्यौरे:

क. बैंक खाता संख्यांक

ख. बैंक खाता प्रकार

ग. बैंक का नाम

घ. खाता धारक का नाम

ड. बैंक शाखा का पता

च. आईएफएससी

छ. एमआईसीआर

9. प्रतिदाय आवेदन के साथ दस्तावेजों के संलग्नक:

10. सत्यापन

मैं----- <<कैंटीन स्टोर विभाग का नाम>> के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हूं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि सभी माल, जिनके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, हमें सीएसडी की यूनिट रन कैंटीन या सीएसडी के प्राधिकृत ग्राहकों को ऐसे माल की पश्चातवर्ती आपूर्ति के प्रयोजन के लिए प्राप्त हुए हैं और किसी भी बीजक के विरुद्ध पहले कोई प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है जिसके विरुद्ध इस आवेदन में प्रतिदाय का दावा किया गया है।

तारीख :

प्राधिकृत के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरी :

स्थान :

नाम :

पदनाम/प्रास्थिति।”]

43. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्: -
“[नियम 108(3), 109(2), 110(1) और 111(1)देखें]”]

44. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप जीएसटी एपीएल-05/07 डब्ल्यू

[नियम 113कदेखें]

अपील अधिकरण के समक्ष फाईल अपील/आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन:

2. कारोबार का नाम (विधिक) (यदि धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल की जाती है)

3. आवेदक का नाम और पदनाम (यदि अपील धारा 112 उपधारा (3) के अधीन फाईल की जाती है):

4. आदेश संख्यांक एवं तारीख :

5. अपील का एआरएन एवं तारीख :

6. वापिसी के कारण:

- i. प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश की स्वीकृति.
- ii. समान विषय वस्तु पर अपील अधिकरण/न्यायालय के आदेश की स्वीकृति
- iii. अपील/आवेदन में भूल/चूक को सुधारने के पश्चात फिर से अपील/आवेदन फाइल करने की आवश्यकता है
- iv. अपील में अन्तर्वलित रकम धारा 112 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील के लिए नियत मौद्रिक सीमा से कम है
- v. आवेदन में अन्तर्वलित रकम धारा 120 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार आवेदन के लिए नियत मौद्रिक सीमा से कम है
- vi. कोई अन्य कारण

7. घोषणा (धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल किए जाने की दशा में लागू): मैं/हम <करदाता का नाम > सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि यहां दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख :

आवेदक का नाम/आवेदक अधिकारी

पदनाम/प्रास्थिति।”]

45. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटीडीआरसी-01 क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क

धारा 73(5)/74(5) के अधीन संदेय की जाने वाली अभिनिश्चित कर की सूचना

[नियम 142 (1क), (2क)देखें]

भाग क

सं. :

तारीख :

मामला आईडी सं.

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा 73(5)/धारा 74(5) के अधीन दायित्व की सूचना

कृपया उपरोक्त कार्यवाही देखें। इस संबंध में, धारा 73 (5)/ 74 (5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर/ब्याज/शास्ति की रकम उक्त मामले के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिनिश्चित की गई है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

अधिनियम	अवधि	कर	ब्याज	शास्ति	कुल
सीजीएसटी अधिनियम					
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम					
आईजीएसटी अधिनियम					
उपकर					
कुल					

आधार और परिमाणीकरण संलग्न है /नीचे दिए गए हैं :

--

आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा लागू ब्याज की रकम के साथ ऊपर अभिनिश्चित की गई कर की रकम का संदाय करें, जिसके न हो सकने पर धारा 73 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

या

आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा धारा 74(5) के अधीन लागू ब्याज और शास्ति की रकम के साथ उपर्युक्त अभिनिश्चित की गई कर की रकम का संदाय करें, जिसके न हो सकने पर धारा 74 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चय के विरुद्ध कोई निवेदन फाईल करना चाहते हैं, तो इसे इस प्ररूप के भाग ख में..... प्रस्तुत किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

संलग्नक अपलोड करें

भाग ख

कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले संदाय के लिए संसूचना का प्रत्युत्तर दें
[नियम 142 (2क) देखें]

सूचना की संदर्भ सं. :

तारीख :

कृपया सूचना आईडी देखें..... मामला आईडी..... के संबंध में जिसको धारा 73 (5) / 74 (5) के अधीन अभिनिश्चित संदेय कर की दायित्व को सूचित किया गया था.

इस संबंध में,

क.यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व का निर्वहन आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से रुपये की सीमा तक किया जाता है के माध्यम से और शेष दायित्व के बारे में निवेदन संलग्न हैं/नीचे दिया गया है:

या

ख .उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में निवेदन संलग्न है/ नीचे दिया गया है:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम / प्रास्थिति

संलग्नक अपलोड करें

भाग ग

[नियम 142(2क)देखें]

सूचना की संदर्भ सं.

तारीख :

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क में दी गई संसूचना के प्रत्युत्तर में निवेदन और/या किए गए संदाय की स्वीकृति

यह संदर्भ सं. -----तारीख -----द्वारा जारी **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से किए गए संदाय संदर्भ सं. ----
--- तारीख ----- **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क** के भाग-क द्वारा जारी संसूचना के संदर्भ में है। आपके द्वारा किया गया
उक्त संदाय संतोषजनक पाया गया है और इसलिए स्वीकार कर लिया गया है।

या

यह संदर्भ सं.-----तारीख ----- को निर्दिष्ट करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से किए गए संदाय के साथ
संदर्भ सं. -----तारीख ----- **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क** के भाग-क द्वारा जारी संसूचना के प्रत्युत्तर संदर्भ सं.
-----तारीख ----- द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संदर्भ है। उक्त निवेदन और संदाय संतोषजनक पाया गया है और इसलिए
स्वीकार कर लिया गया है।

या

यह संदर्भ सं. -----तारीख -----द्वारा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क में जारी संसूचना के प्रत्युत्तर संदर्भ सं. -----तारीख ----- द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संदर्भ में है। उक्त उत्तर संतोषजनक पाया गया है और इसलिए स्वीकार कर लिया गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

संलग्नक अपलोड करें”;

46. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 ख में, –

(i) भाग क में, क्रम संख्यांक 1 में, –

(क) "प्ररूप जीएसटीआर-1 में आपके द्वारा प्रस्तुत", शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथासंशोधित, यदि कोई हो", शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) सारणी में, "प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-1क/आईएफएफ" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) भाग ख में, क्रम संख्यांक ख में, सारणी में, प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ" जहां भी वे होते हैं, अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "प्ररूप जीएसटीआर-1/जीएसटीआर -1 क/आईएफएफ" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

47. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में:-

(i) सारणी में,

(क) क्रम संख्यांक)3) पर प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“3क	पोत परिवहन पत्र गलत आईजीएसटी प्रतिदाय के ब्यौरे (केवल तभी समर्थित किया जाना चाहिए जब ड्रॉप डाउन मेनू में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग चुने गए हों)	(i) (ख) पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र सं. एवं तारीख: (ii) माल के निर्यात पर संदत्त किए गए आईजीएसटी की रकम : (iii) अधिसूचना सं. रियायती दर या छूट पर इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है (नियम 96 के उपनियम 10 के उल्लंघन के मामलों में): (iv) अधिसूचना की तारीख: (v) प्राप्त प्रतिदाय की रकम : (vi) गलत प्रतिदाय की रकम जमा करनी होगी : (vii) बैंक खाते में प्रतिदाय प्रत्यय करने की तारीख :”;
-----	---	---

(ख) क्रम संख्यांक (5) पर प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“5.	के ब्यौरे i. संपरीक्षा ii. निरीक्षण या अन्वेषण iii. एससीएन जारी करने के पश्चात / विवरण किन्तु आदेश जारी करने से पहले iv. संवीक्षा, v. प्ररूप जीएसटी डीआरसी -01क के माध्यम से अभिनिश्चित कर की सूचना , vi. प्ररूप जीएसटी डीआरसी -01 ख के उत्तर में किया गया संदाय , vii. प्ररूप जीएसटी डीआरसी -01 ग के उत्तर में किया गया संदाय , viii. अप्रयुक्त आईटीसी के गलत प्रतिदाय की जमा , ix. नियम 96ख के अधीन माल के निर्यात पर अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के संबंध में विदेशी विप्रेषण की गैर-प्राप्ति x. अन्य (निर्दिष्ट करें)	संदर्भ सं. / एआरएन	जारी करने /फाईल करने की तारीख
-----	---	--------------------	-------------------------------

48. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क

[नियम 142(2ख)देखें]

मांग के आदेश के विरुद्ध प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से संदत्त की गई रकम के समायोजन के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	< ऑटो >
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	< ऑटो >
4.	डीआरसी-03क का एआरएन	< ऑटो >
5.	डीआरसी -03क फाईल करने की तारीख	< ऑटो >
6.	डीआरसी -03 का एआरएन जिसके माध्यम से संदाय किया गया	
7.	डीआरसी -03 फाईल करने की तारीख	< ऑटो >
8.	डीआरसी -03 के माध्यम से संदत्त रकम	< ऑटो >

(रकम रु.में)

क्र. सं.	कर अवधि	अधिनियम	पूर्ति का स्थान	कर / उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
कुल	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>

9.	मांग के ऑर्डर की निर्देश संख्या जिसके लिए संदाय करना आशयित था (जिसके अंतर्गत सुधार/ अपील ऑर्डर भी है)	
10.	ऑर्डर जारी करने की तारीख	< स्वतः>
11.	मांग की रकम	< स्वतः>

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	कर अवधि	अधिनियम	पूर्ति का स्थान	कर / उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
कुल	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>

12.	वचनबंध मैं वचनबंध हूँ कि उपरोक्त क्रम सं. 6 पर उल्लिखित अनन्य एआरएन सं. के साथ प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 द्वारा किया गया संदाय वास्तविक रूप से मेरे द्वारा 'मांग के प्रति संदाय' के रूप में संदत्त किया गया था जो कि मांग के लिए संदत्त करना आशयित था (ऊपर क्रम सं. 9 पर उल्लिखित यथास्थिति प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07, जीएसटी डीआरसी-08 या प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 के अनन्य एआरएन सं. सहित) तथा मेरे द्वारा किसी अन्य मांग या संदाय के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया है। मैं ये भी वचनबंध करता हूँ कि इस प्ररूप के उपयोग से समायोजित रकम, लागू ब्याज के साथ सरकार को वापिस संदेय करूंगा, यदि तत्पश्चात ऊपर घोषित ब्योरे में से कुछ भी गलत पाया जाता है। मैं केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 (1) (x) के अधीन दंड कार्यवाही के लिए दायी होगा।
13.	सत्यापन- मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुरूप सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम पदनाम / प्रास्थिति ।

49. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04**[नियम 142(2) तथा 142(3) देखें]**

निर्देश सं.:

तारीख.....

सेवा में

.....जीएसटीआईएन/आईडी

.....नाम

.....पता

कर अवधि.....

वित्तीय वर्ष.....

एआरएन-

तारीख-

स्वेच्छा से किए गए संदाय की अभिस्विकृति।

ऊपर निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा किए गए संदाय की संदत्त रकम तक अभिस्विकृति की जाती है। यह प्रणाली जनित अभिस्विकृति है तथा हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।”।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पण.- मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा संख्या सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 52/2023-केंद्रीय कर, तारीख 26 अक्टूबर, 2023 द्वारा, संख्यांक सा.का.नि. 798(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2024

No. 12/2024 – Central Tax

G.S.R. 376(E). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from a date to be notified, in rule 8, in sub-rule (4A), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has not opted for authentication of Aadhaar number, shall be followed by taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centers notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after successful verification as laid down under this proviso.”.